

SI-N.4CI)

4

कार्यालय

पुलिस

अधीक

बाँदा ।

पत्र संख्या: एसटी-एसपी-28११एससी/एसटी-प्र०-09 दिनांक: दिस०: 06, 2009

सेवा में,

सहायक निदेशक,  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,  
छठी मंजिल, बी विंग, लोक नायक भवन,  
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

3048/Gadma/2008  
15/12/09

कृपया अपने पत्र संख्या: 7/ए-1/यूपी-2/अत्याचार/2008/आर.यू.


1, दिनांक: 25-11-2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदिका श्रीमती आशा पत्नी स्व० श्री किशन सिंह, निवासिनी मो० डिग्गी तालाब स्टेशन रोड, बाँदा, मूल निवासी-एल०-107 इन्द्रानगर रायबरेली के प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जाँच कराकर आख्या प्रेषित किये जाने विषयक है ।

ADRU-5

2- उपरोक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण की जाँच श्री ज्ञानेन्द्र, क्षेत्राधिकारी नगर, बाँदा से कराकर आख्या प्राप्त की गयी तो पाया गया कि, " प्रकरण पर आवेदिका की तहरीर के आधार पर थाना-कोतनगर, बाँदा में दिनांक: 11-9-07 को मु०अ०सं०-690/07 धारा-457/380/504/506/447 भा०द०वि० व 3१1१10 एससी/एसटी एक्ट विरुद्ध नागेन्द्र सिंह आदि के पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्त नागेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर बाद विवेचना आरोप-पत्र संख्या: ए-484, दिनांक: 26-12-2007 को धारा-457/380/447/504/506 भा०द०वि० व 3१1१10 एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रेषित किया गया है ।"

इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या की एक प्रति मय मूल प्रार्थना-पत्र सहित संलग्न कर सादर अक्लोकनाथ प्रेषित है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

  
१ अंज शर्मा १  
पुलिस अधीक,  
बाँदा।